फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 07.07.2025

हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/25 धारा 103(1) BNS से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त अजनेश उर्फ पोकी पुत्र छोटेलाल वाल्मीकि निवासी चौरसिया मंझोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. अजनेश उर्फ पोकी पुत्र छोटेलाल वाल्मीकि निवासी चौरसिया मंझोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: वादिनी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व0 रनवीर निवासी ग्राम चौरसिया मझोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ने दिनांक 06.07.2025 को सूचना दी कि दिनांक 05.07.2025 को शाम के समय उसी के गाँव का अजनेश उर्फ पोकी पुत्र छोटेलाल उसके पुत्र संजेश को घर से बुलाकर ले गया था और काफी रात जब उसका बेटा संजेश घर नही आया तो उसकी तलाश की और अजनेश उर्फ पोकी से पूछा की उसका बेटा कहाँ है तो उसने बताया कि मुझे जानकारी नही है, फिर काफी तलाश करने पर वादिनी के बेटे संजेश का शव दिनांक 06.07.2025 को समय करीब 11.30 बजे सुबह अनिल पुत्र बाबूराम के खेत में मिला। वादिनी ने अजनेश उर्फ पोकी द्वारा मारपीट कर संजेश की हत्या करके शव को खेत में फेककर चले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 208/25 धारा 103(1) BNS बनाम अजनेश उर्फ पोकी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 07.07.2025 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अजनेश उपरोक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त अजनेश उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मेरा, संजेश जाटव उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 रनवीर और उसके भाई अजीत से कुछ समय पहले झगड़ा हो गया था, जिसमें इन दोनो भाइयों ने मुझे पीटा था। तब से ही मैं इनसे बदला लेने की सोच रहा था। संजेश का भाई अजीत बाहर गया हुआ था तब दिनांक 05.07.2025 की रात करीब 8 बजे मैं संजेश को उसके घर से शराब पिलाने के बहाने से ले गया और पड़ोसी गाँव खिनमिनी और आस पास में उसे लेकर घूमता रहा फिर मैने संजेश जाटव उर्फ नन्हे से शराब पीने के लिये पैसे मांगे तो वह मना करते हुए घर की ओर चल दिया। मैं भी उसके साथ साथ चलता रहा। जब हम कायमगंज फर्रूखाबाद मेन रोड पर पहुँचे तो हम दोनो में गाली गलौज व मारपीट हो गई और आवेश मे आकर मैनें उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे संजेश का सिर सड़क किनारे बनी पानी की हौद (हौदी) की दीवार पर जा टकराया वह फिर खड़ा हुआ मैने उसको फिर धक्का दे दिया उसका सिर फिर उसी हौदी की दीवार पर टकरा गया। संजेश उपरोक्त शांत हो गया तो मुझे लगा वह मर गया है तब मैने उसकी लाश को पास के ही ज्वार के खेत में छिपा दिया और खेतों के रास्ते चुपचाप अपने घर चला गया। साहब मुझसे गलती हो गयी है माफ कर दो। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अजनेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 208/25 धारा 103(1) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरणः- एक अदद मोबाइल आईटेल कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. मु0आ0 अनुज तिवारी
3. आरक्षी मो0 आलम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

UP75 AF 4977
GPS Map Camera
Google
कमालगंज, उत्तर प्रदेश, भारत
7j7j+jgq, कमालगंज, उत्तर प्रदेश 209724, भारत
Lat 27.264021° Long 79.631375°
07/07/2025 04:47 PM GMT +05:30